

**अनंतिम पंजीकरण
PROVISIONAL REGISTRATION**

आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित विनिर्माण की शर्तों कार्यकलापों हेतु लघु उद्योग/लघु सेवा एवं व्यापार उद्यम इकाई के रूप में अनंतिम पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।
The application is accepted for Provisional Registration as a SS/SSSBE Unit for the manufacture of items/activities as stated in the application form.

अनंतिम पंजीकरण संख्या
Provisional Registration No.

निर्गम की तिथि
Date of issue :

इकाई की श्रेणी (क्रम संख्या-3)

Category of unit (S. No. 3) (4) *Tiny unit*



[Signature]
हस्ताक्षर/Signature
DIRECTOR OF INDUSTRIES
Industries Department

पंजीकृत अधिकारी का नाम/Name and designation of Registering Authority
[Signature]

1. अनुमति आवेदन-प्रारंभ पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अनिवार्य भाग है।

The endorsed application form is a part of the certificate of registration.

2. अनंतिम प्रमाण-पत्र निर्गम तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।

The provisional registration is valid for a period of 5 years from the date of issue.

3. अनंतिम पंजीकरण वैधता अवधि की समाप्ति या उत्पादन के प्रारंभ तिथि, जो भी पहले हो, से स्वतः समाप्त हो जाएगा।

The provisional registration will automatically lapse at the end of the validity period or the date of commencement of production, whichever is earlier.

4. यदि आवेदक इकाई में सेवा अवधि के अंतर्गत इकाई स्थापित नहीं कर पाता है तो इकाई/आवेदक मानक प्रक्रिया अपनाते हुए अनंतिम पंजीकरण हेतु पुनः आवेदन कर सकता है।

If an applicant/unit is unable to set up the unit within the validity period, the applicant/unit has the option to apply afresh for provisional registration using standard procedure.

5. अनंतिम पंजीकरण इकाई को पूर्व उत्पादन अवस्था में अदेरि। सभी सुविधाएं/अनुमति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है।

The provisional registration is given to enable the unit to obtain all facilities/clearance etc. required in the pre-production stage.

6. पंजीकरण प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिकारी द्वारा लगाई जाने वाली किसी/सभी शर्तों के अधीन है।

The provisional registration is subject to any or all conditions that may be imposed by the Registering Authority.

7. 'NOC' from the Municipal Board/Relevant Authorities for the premises at the time of applying of Post Registration.
MGPPB-4 Industries/98-1000 Nos.

[Signature]
DIRECTOR OF INDUSTRIES
Industries Department
Port Blair